प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-05.03.2025

थाना सैयदराजा

◆ **सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 पिकअप से 06 गोवंशों को किया गया बरामद.**

◆ **तस्करी में संलिप्त 02 शातिर तस्कर गिरफ्तार, बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल के लिए की जा रही थी तस्करी.**

पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के पर्यवेक्षण में थानाप्रभारी सैयदराजा विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय की टीम द्वारा एक पिकप वाहन से 06 गोवंशों को बरामद किया गया है तथा तस्करी में संलिप्त 02 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 05.03.2025 को उ0नि0 आफताब आलम मय हमराह को चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिकप से गोवंशों की तस्करी की जा रही है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा एनएच 02 हाईवे ग्राम नौबतपुर, बुथ के पास चेकिंग के दौरान एक बोलेरो पिकअप से कुल 06 गोवंश (04 राशि साड़ व 02 राशि बैंल) की बरामदगी करते हुए मौके से दो शातिर तस्करो को समय 05:16 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार तस्करों की पहचान 1.अखिलेश कुमार पुत्र लाला हरिजन निवासी ग्राम लखऊवा थाना बक्सा जिला जौनपुर उ0प्र0 2.विशाल कुमार पुत्र प्रकाश कुमार निवासी ग्राम खेवसीपुर थाना जलालापुर जिला जौनपुर उ0प्र0 के रूप में हुयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि इन पशुओं को बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल वध के लिए ले जा रहे थे।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 34/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनिमय का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

1.मु.अ.सं. 34/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनिमय

गिरफ्तार अभियुक्त

1.अखिलेश कुमार पुत्र लाला हरिजन निवासी ग्राम लखऊवा थाना बक्सा जिला जौनपुर उ0प्र0

2.विशाल कुमार पुत्र प्रकाश कुमार निवासी ग्राम खेवसीपुर थाना जलालापुर जिला जौनपुर उ0प्र0

गिरफ्तारी व बरामदगी का स्थान व समय:-

एनएच 02 हाइवे पर स्थित ग्राम नौबतपुर, नौबतपुर पुलिस बुथ से करीब 100 मीटर पहले

दिनांक 05.03.2025 समय करीब 05:16 बजे

<u>बरामदगी-</u>

एक बोलेरो मैंक्स पिकअप (UP72CT6282)

02 एन्ड्राइड मोबाइल

1300 रुपया नगदी

06 राशि गोवंश

(04 राशि साड व 02 राशि बैल)

<u>पुलिस टीम</u>

प्रभारी निरीक्षक श्री विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

उ0नि0- आफताब आलम चौहान थाना सैयदराजा चन्दौली।

हे0का0 शिवशंकर बिन्द थाना सैयदराजा चन्दौली।

का0 शंकर राम थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

का0 अजय पटेल थाना सैयदराजा चन्दौली।

◆**थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा तस्करी के दौरान 02 पिकअप वाहन से 05 गोवंश किया गया बरामद।**

◆ **तस्करी में संलिप्त 03 तस्करों को किया गया गिरफ्तार।**

आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली द्वारा जनपद में गोवंशों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में विनय कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली व आशुतोष, क्षेत्राधिकारी पं.दी.द.उ.नगर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा की टीम द्वारा पचफेड़वा के पास से चेकिंग के दौरान 02 पिकअप वाहन से 05 गोवंशों को बरामद करते हुए 03 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।

संक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 05.03.2025 को प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा व चौकी प्रभारी भूपौली अमित कुमार सिंह मय हमराह को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 02 पिकअप वाहन से गोवंशों को चन्दौली के रास्ते बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल के लिए तस्करी की जा रही है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम पचफेड़वा पर जाम लगाकर चेकिंग की जा रही थी कुछ देर बाद सामने से आ रहे 02 इन्ट्रा पिकअप वाहनों को रोका गया,दोनों वाहनों में सवार चालक व खलासी वाहन से उतर कर भागने लगे। जिनको मौके पर मौजूद पुलिस बल द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से 02 इन्ट्रा पिकप वाहन (UP65PT1532) (UP62CT5217) बरामद किये गये जिसमें से कुल 05 गोवंश बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान 1.सिकन्दर कुमार पुत्र पन्ना लाल निवासी करौता थाना लोहता जिला वाराणसी (उम्र 28 वर्ष)

2.सूरज प्रजापति पुत्र अनिल कुमार निवासी पकड़ी थाना मुगराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर

3.विनोद पुत्र बसन्त लाल निवासी ग्राम सतहरिया थाना मुगराबादशाहपुर जनपद जौनपुर उम्र 40 वर्ष के रूप में हुयी।

गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 72/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1.सिकन्दर कुमार पुत्र पन्ना लाल निवासी करौता थाना लोहता जिला वाराणसी उम्र 28 वर्ष (चालक)

2.सूरज प्रजापति पुत्र अनिल कुमार निवासी पकड़ी थाना मुगराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर 22 वर्ष

3.विनोद पुत्र बसन्त लाल निवासी ग्राम सतहरिया थाना मुगराबादशाहपुर जनपद जौनपुर 40 वर्ष

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 72/2025 धारा धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम

बरामदगी

02 पिकप वाहन (UP65PT1532),(UP62CT5217)

05 गोवंश

पुलिस टीम

प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

उ0नि0 अमित कुमार सिंह चौकी प्रभारी भूपौली थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

हे0का0 कमलेश पाण्डेय थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

हे0का0 रोशन यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

का0 शैलेन्द्र कुमार थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

थाना धीना, चन्दौली

◆ हत्या के प्रयास के वांछित अभियुक्त को धीना पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार

चंदौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार जनपद मे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक धीना रमेश यादव के कुशल नेतृत्व में थाना धीना पुलिस टीम को दिनांक 05.03.2025 को चेकिंग के दौरान मूखबिर से सूचना मिली कि थाना धीना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 14/2025 धारा 115(2)/352/109/351(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त अशोक सिंह पुत्र स्व0 कैलाश सिंह निवासी ग्राम एवती थाना धीना जनपद चन्दौली कही दूर भागने के फिराक में खजरा सिरकलपुर मोड़ पर खड़ा हैं।

इस सूचना पर उ0नि0 लल्लन पुरी द्वारा मौके पर पहुचकर अभियुक्त अशोक सिंह पुत्र स्व0 कैलाश सिंह उपरोक्त का नाम पता तस्दीक कर कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 11.50 बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 14/2025 धारा 115(2)/352/109/351(2) बीएनएस

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.अशोक सिंह पुत्र स्व0 कैलाश सिंह निवासी ग्राम एवती थाना धीना जनपद चन्दौली उम्र करीब 59 वर्ष

पुलिस टीम का विवरण-

1.प्र0नि0 रमेश यादव थाना धीना जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 राजेश कुमार सिंह थाना धीना जनपद चन्दौली

3.उ0नि0- लल्लन पुरी थाना धीना चन्दौली।

थाना साइबर क्राइम जनपद चंदौली

◆साइबर क्राइम टीम द्वारा आवेदकों के फ्राड पैसों को आवेदकों के खातों में कुल धनराशि-120000/-रुपये वापस कराया गया

चंदौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक श्री विनय कुमार सिंह के निर्देशन में एंव पुलिस उपाधीक्षक राजीव सिसौदिया के कुशल पर्यवेक्षण में व प्रभारी थाना साइबर क्राइम गगनराज सिंह के कुशल नेतृत्व में साइबर क्राइम टीम द्वारा साइबर क्राइम के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद चन्दौली के साइबर क्राइम थाना द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही के इस सप्ताह में कुल 03 शिकायतकर्ता के फ्राड हुये पैसे को शिकायतकर्ता के खाता में कुल 120000/-(एक लाख बीस हजार रुपये) वापस कराया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम जनपद चन्दौली द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए आवेदको के खाते से निकाली गयी धनराशि 120000/-रुपये को आवेदकों के खातें में वापस करायी गयी। समस्त शिकायतकर्ता के चेहरे पर मुस्कुराहट आई । श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस उपाधीक्षक थाना साइबर क्राइम, साइबर प्रभारी एवं साइबर क्राइम टीम जनपद चन्दौली का आभार व्यक्त किया। तथा एनसीआरपी पोर्टल पर वर्ष 2023 से अब तक कुल-4557 शिकायत पड़ी, जिसमें साइबर थाना के अथक प्रयास से कुल 2647 (लगभग-58%) शिकायतों को क्लोज किया गया।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम---

1.प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह थाना साइबर क्राइम जनपद चंदौली

2.हे0का0 मुकेश बंसल थाना साइबर क्राइम जनपद चंदौली

3.हे0का0 सन्तोष सिंह थाना साइबर क्राइम जनपद चंदौली

4.हे0का0 पवन यादव थाना साइबर क्राइम जनपद चंदौली

5.हे0का0 सुनील कुमार मिश्रा थाना साइबर क्राइम जनपद चंदौली

6.का0 अनिल कुमार थाना साइबर क्राइम जनपद चंदौली

7.का0 आशुतोष भारद्वाज थाना साइबर क्राइम जनपद चंदौली